न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 20/2017 जिला दौसा ।

1. नाथूलाल
2. रामजीलाल
3. शम्भूलाल

पिसरान महादेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 रामगढ पत्रवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कल्याण पुत्र रेवडया
2. नाथूलाल पुत्र रेवडया
3. बाबूलाल पुत्र रेवडया
4. अणतराम पुत्र मूल्या
5. घासीलाल पुत्र मूल्या
6. कैलाश पुत्र काना

   जाति कुम्हार निवासी गोपालपुरा तह0 रामगढ पचवारा जिला दौसा।
7. ग्राम पंचायत निजामपुरा तह0 रामगढ पचवारा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 01.07.2015 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 श्री सतीश कुमार पारीक।

निर्णय

दिनांक–15.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 01.07.2015 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 07.02.2017 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील कल्याण बनाम नाथूलाल में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांटस एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 उपस्थित। शेष रेस्पोडेंट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा अपीलांट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध प्रस्तुत समयातीत अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 23.12.2010 को अपीलांट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नगत एक पक्षीय निर्णय राजस्व अभियान में स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ पचवारा को पुनः सुनवाई हेतु प्रेति प्रेषित कर न्याय के नैसर्गिग सिद्धांत की अवहेलना की है। दिनांक 3.4.2015 को पत्रावली में दिनांक 16.6.2015 तारीख पेशी निश्चित हुई। उक्त तारीख पेशी में कोई तारीख अंकित नही हुई एवं दिनांक 1.072015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प गागंल्यावास रखकर अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रश्नगत निर्णय पारित कर दिया गया। प्रकरण निजामपुरा पंचायत क्षैत्रका है परन्तु निर्णय राजस्व लोक अदालत शिविर गागंल्यावास में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

को प्रति प्रेषित करने का कोई कारण भी अंकित नही किया। निर्णय किन पक्षकारान की उपस्थित में पारित किया गया यह भी अंकित नही किया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 01.07.2015 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2015 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 18.11.2017 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं0 01 से 03 योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालर्सोट जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2015 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक भगवान्या उर्फ भवाना की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 23.12.2010 वाके ग्राम पालडी का है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष अपील पेश कर आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है जिसकी खातेदारी भगवान्या उर्फ भवाना पुत्र सेवा जाति कुम्हार निवासी गोपालपुरा तहसील रामगढ पचवारा के नाम थी। जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके चारो पुत्रो क्रमशः रेवडया, मूल्या, काना, महोदव में से महादेव के पुत्रो ने गलत तथ्यो के आधार पर वारिसान बनकर स्वयं के नाम ग्राम पंचायत निजामपुरा से नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 13.12.2010 तस्दीक करवा लिया जिसे निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के हक में हिस्सानुसार नामान्तकरण तस्दीक फरमाने के आदेश किये जाने की प्रार्थना की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 01.07.2015 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा को रिमाण्ड किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 13.12.2010 वाके ग्राम पालडी के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बगैर तथा अपील के अन्दर मियाद घोषित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटस (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.08.2012 को अपील पेश की गई थी जिसमें प्रथम आदेशिका दिनांक 13.09.2013 से दिनांक 9.4.2015 तक पीठासीन अधिकारी के दौरे पर जाना अंकित कर रखा हैं। दिनांक 9.4.2015 की आदेशिका के अनुसार भी पीठासीन अधिकारी के दौरे पर रहना अंकित रकते हुये पत्रावली दिनांक 16.6.2015 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट्स) को कोई नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है ना ही इस संबंध में कोई आदेश पारित किये गये है। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 01.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में ली जाकर अप्रार्थी (वर्तमान अपीलांटस) को बिना सुने एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर बिना विधिक प्रकिया पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रकिया को पूर्ण किये बगैर पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2015 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner